935रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 935] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 17, 2017/कार्तिक 26, 1939
No. 935] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 17, 2017/KARTIKA 26, 1939

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2017

सा.का.नि. 1429(अ).—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (i) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, त्रिपुरा सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 में आगे और संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नालिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (i) ये नियम भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) तृतीय संशोधन नियमावली, 2017 कहलाएंगे।
   (ii) ये नियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016, अनुसूची-।। में-

(क) तालिका में, भाग-क में राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा में वेतनमान के ऊपर के वेतन वाले पदों" में प्रथम कॉलम में "त्रिपुरा" प्रविष्टि और दूसरे कॉलम में तदनुरूपी प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

	"त्रिपुरा	
(1)	सरकार के मुख्य सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17
(2)	सरकार के अपर मुख्य सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17
(3)	सरकार के प्रधान सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
(4)	महानिदेशक, राज्य लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15

(5)	राज्यपाल के प्रधान सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
(6)	प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर, त्रिपुरा भवन, नई दिल्ली	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
(7)	मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15

(8)	सरकार के सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
(9)	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वशासी जिला परिषद्	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
(10)	रेजीडेंट आयुक्त, त्रिपुरा	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
(11)	आयुक्त, विभागीय जांच	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14"

(ख) "भाग ख" में वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पदों सहित राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान वाले पदों में 'त्रिपुरा' शीर्षक के तहत आने वाली प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"त्रिपुरा	
(1)	सचिव, लोक सेवा आयोग
(2)	सरकार के अपर/संयुक्त/उप सचिव
(3)	जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर
(4)	निदेशक, उच्चतर शिक्षा
(5)	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
(6)	निदेशक, सतर्कता
(7)	निदेशक, समाज कल्याण एवं सामाजिक शिक्षा
(8)	निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले
(9)	निदेशक, भूमि अभिलेख एवं बंदोबस्त
(10)	निदेशक, सूचना एवं सांस्कृतिक मामले
(11)	पंजीयक, सहकारी संस्थाएं
(12)	श्रम आयुक्त
(13)	निदेशक, युवा मामले एवं खेल
(14)	निदेशक, अनुसूचित जनजाति कल्याण
(15)	निदेशक, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण
(16)	आयुक्त, कर एवं उत्पाद शुल्क
(17)	निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य
(18)	निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी
(19)	निदेशक, हथकरघा, हस्तशिल्प और रेशम उद्योग
(20)	निदेशक, योजना एवं समन्वय
(21)	निदेशक, शहरी विकास
(22)	नगर आयुक्त, अगरतला नगर निगम"

[फा. सं. 11031/10/2015-अ.भा.से.-II (ख)]

ज्योत्सना गुप्त, अवर सचिव

टिप्पणी: प्रधान नियम, तारीख 08 सितम्बर, 2016 की सा.का.नि.सं. 870 (अ) के तहत भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे।

क्रम सं.	**सा.का.नि. नं.**	**दिनांक**
1.	1062 (अ)	10.11.2016
2.	1178(अ)	27.12.2016
3.	1194(अ)	30.12.2016
4.	575(अ)	12.06.2017
5.	1382(अ)	10.11.2017

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 2017

G.S.R. 1429(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, in consultation with the Government of **Tripura** hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2016, namely: —

1. (1) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Third Amendment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2016, in Schedule II,–

(a) in Part A relating to Posts carrying pay above the Senior Scale of pay of the Indian Administrative Service under the State Governments, in the table, for the entry "Tripura" occurring in the first column and corresponding entries in the second column, the following shall be substituted namely:—

	"TRIPURA	
(1)	Chief Secretary to Government	Level 17 in the pay matrix
(2)	Additional Chief Secretary to Government	Level 17 in the pay matrix
(3)	Principal Secretary to Government	Level 15 in the pay matrix
(4)	Director General , State Institute of Public Administration and Rural Development	Level 15 in the pay matrix
(5)	Principal Secretary to Governor	Level 15 in the pay matrix
(6)	Principal Resident Commissioner, Tripura Bhawan, New Delhi	Level 15 in the pay matrix
(7)	Principal Secretary to Chief Minister	Level 15 in the pay matrix
(8)	Secretary to Government	Level 14 in the pay matrix
(9)	Chief Executive Officer, Tripura Tribal Areas Autonomous District Council	Level 14 in the pay matrix
(10)	Resident Commissioner, Tripura	Level 14 in the pay matrix
(11)	Commissioner for Departmental Inquiries	Level 14 in the pay matrix

(b) in Part B relating to Posts carrying pay in the Senior Scale of the Indian Administrative Service under the State Governments including posts carrying Special Allowance in addition to pay, in the table for the entries occurring under Tripura the following shall be substituted,–

“TRIPURA	
(1)	Secretary, Public Service Commission
(2)	Additional/Joint/Deputy Secretary to Govt.
(3)	District Magistrate & Collector
(4)	Director of Higher Education
(5)	Director of Secondary Education
(6)	Director of Vigilance
(7)	Director of Social Welfare & Social Education
(8)	Director of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs
(9)	Director of Land Record & Settlement
(10)	Director of Information & Cultural Affairs
(11)	Registrar of Co-operative Societies
(12)	Labour Commissioner
(13)	Director, Youth Affairs & Sports
(14)	Director of Welfare for Scheduled Tribes
(15)	Director of Welfare for Scheduled Castes & OBC
(16)	Commissioner of Taxes & Excise
(17)	Director of Industries & Commerce
(18)	Director, Information Technology
(19)	Director of Handloom, Handicrafts & Sericulture
(20)	Director, Planning & Coordination
(21)	Director, Urban Development
(22)	Municipal Commissioner, Agartala Municipal Corporation ”

[F. No. 11031/10/2015- AIS-II (B)]

JYOTSNA GUPTA, Under Secy.

Note:— The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number GSR 870 (E) dated the 08th September, 2016 and subsequently amended by the following GSR No. and date:-

Sl.No.	GSR No.	Date
1.	1062 (E)	10.11.2016
2.	1178(E)	27.12.2016
3.	1194(E)	30.12.2016
4.	575(E)	12.06.2017
5.	1382(E)	10.11.2017

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.11.20 11:59:21 +05'30'